भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 464

दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन

464. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री मनीष जायसवालः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री प्रभुभाई नागरभाई बसावाः
श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः
श्री लुम्बा रामः
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री प्रदीप पुरोहितः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री नव चरण माझीः
श्री राहुल कस्वां:
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री मनोज तिवारीः
डॉ. राजीव भारद्वाजः
डॉ. जयंत कुमार रायः
डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) जेजेएम के उद्देश्यों और घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा 2024 तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान जेजेएम के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए नल से जल कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शत-प्रतिशत नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल लागू कर रही है।

मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जेजेएम के तहत निम्नलिखित घटकों की परिकल्पना की गई है:

i.) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए गांव में पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना का विकास।

ii.) विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए मौजूदा स्रोतों का संवर्धन।

iii.) थोक जल हस्तांतरण, शोधन संयंत्र और संवितरण नेटवर्क।

iv.) जहां पानी की गुणवत्ता एक मुद्दा हो, वहां दूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप।

v.) 55 एलपीसीडी के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफएचटीसी प्रदान करने के लिए पूर्ण और चल रही योजनाओं की रेट्रोफिटिंग।

vi.) ग्रेवाटर प्रबंधन-शोधन तथा पुन:उपयोग; और

vii.) समुदायों की गतिविधियों और क्षमता निर्माण में सहायता करना।

viii.) वित्त मंत्रालय के फ्लेक्सी फंड से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों के कारण उभरने वाली कोई अन्य अप्रत्याशित चुनौतियां/मुद्दे जो वर्ष 2024 तक हर घर को एफएचटीसी के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं।

15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 23.07.2024 तक, 11.76 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.07.2024 तक, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15 करोड़ (77.63%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। वर्ष 2019-20 से प्रदान किए गए नल जल कनेक्शनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ) 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमण दीव तथा पुडुचेरी ने सूचित किया है कि उन्होंने 23.07.2024 तक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान कर दिए हैं।

(च) अगस्त 2019 में शुरू होने के बाद से जल जीवन मिशन के तहत जारी केंद्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 464 में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति (22.07.2024 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		15.8.2019 से नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवार								आज की तारीख तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल	%	संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	-	0.33	-	-	-	-	0.33	53.98	0.62	0.62
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	0.13	0.65	0.42	0.34	0.52	-	2.06	90.03	2.29	2.29
3	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव	0.85	0	0	-	0.25	0.61	-	-	-	0.85	100	0.85	0.85
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.31	0.34	-	-	-	-	0.65	24.56	2.64	2.64
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	1.06	10.94	8.99	5.03	-	-	26.02	28.54	91.18	91.18
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	1.35	7.91	3.49	-	-	-	12.75	41.92	30.41	30.41
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	1.59	3.78	2.87	0.93	0.29	-	9.46	55.36	17.09	17.09
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	0.17	0.34	0.21	0.3	0.22	-	1.24	93.09	1.33	1.33
9	पुडुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.06	0.08	0.07	0	-	-	0.21	18.67	1.15	1.15
10	पंजाब	34.19	16.79	49.1	0.77	8.18	8.4	0.05	0	0	17.4	50.9	34.19	34.19
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	20.18	18.12	-	-	-	-	38.3	70.95	53.98	53.98
12	बिहार	166.89	3.16	1.90	28.97	103.46	19.86	3.63	1.27	0.01	157.19	94.19	160.36	96.08
13	उत्तराखंड	14.53	1.30	8.97	0.87	4.32	2.75	2.15	2.25	0.16	12.50	86.03	13.80	95.00
14	लद्दाख	0.41	0.01	3.47	0.01	0.02	0.09	0.18	0.07	0.00	0.37	89.79	0.38	93.25
15	नागालैंड	3.63	0.14	3.82	0.02	0.48	0.92	0.87	0.75	0.15	3.19	87.73	3.33	91.56
16	लक्षद्वीप	0.13		0.00	-	-	-	-	0.11	0.01	0.12	89.22	0.12	89.22

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		15.8.2019 से नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवार								आज की तारीख तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल	%	संख्या	%
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.83	-	0.10	0.08	0.19	0.10	0.01	0.48	36.12	1.18	88.95
18	महाराष्ट्र	146.72	48.44	33.01	5.45	37.09	10.66	8.22	15.17	1.59	78.17	53.28	126.61	86.29
19	तमिलनाडु	125.16	21.76	17.39	0.17	16.13	14.90	26.52	23.05	3.48	84.26	67.32	106.02	84.71
20	उत्तर प्रदेश	265.94	5.16	1.94	4.66	19.16	5.81	59.88	120.51	9.02	219.03	82.36	224.19	84.30
21	त्रिपुरा	7.50	0.25	3.27	0.46	1.42	1.65	0.81	1.32	0.24	5.90	78.63	6.14	81.90
22	जम्मू और कश्मीर	18.68	5.75	30.80	2.07	2.16	0.58	0.40	3.47	0.65	9.33	49.96	15.09	80.76
23	असम	71.64	1.11	1.55	0.49	5.07	16.52	8.75	22.95	2.44	56.23	78.49	57.34	80.04
24	मेघालय	6.51	0.05	0.70	0.02	0.87	1.34	0.80	1.91	0.21	5.15	79.14	5.20	79.84
25	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	0.04	1.96	0.70	0.49	0.08	0.06	3.33	73.85	3.59	79.59
26	छत्तीसगढ़	50.05	3.20	6.39	0.96	1.51	4.45	10.81	18.05	0.28	36.05	72.03	39.25	78.42
27	कर्नाटक	101.15	24.51	24.23	0.21	3.43	18.70	20.57	9.23	2.25	54.40	53.78	78.91	78.02
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	4.37	15.47	17.47	12.22	12.06	0.90	62.50	70.46	65.60	73.97
29	आंध्र प्रदेश	95.45	30.74	32.21	1.19	12.77	9.59	11.88	3.86	0.08	39.38	41.25	70.12	73.46
30	मध्य प्रदेश	111.81	13.53	12.10	4.19	19.87	10.89	8.91	11.30	2.63	57.79	51.68	71.32	63.78
31	झारखंड	62.34	3.45	5.54	0.95	3.00	4.19	8.77	11.93	1.41	30.24	48.51	33.69	54.05
32	केरल	70.86	16.64	23.49	0.85	4.04	6.64	5.29	3.67	0.62	21.12	29.80	37.76	53.29
33	राजस्थान	107.07	11.74	10.97	1.02	6.81	5.38	13.88	12.18	4.09	43.37	40.50	55.11	51.47
34	पश्चिम बंगाल	175.26	2.15	1.22	0.05	12.48	23.31	20.77	22.92	7.33	86.85	49.55	89.00	50.78
	कुल	**19,32.01**	**3,23.63**	**16.75**	**82.62**	**3,22.62**	**2,01.34**	**2,32.75**	**2,99.26**	**37.62**	**11,76.21**	**60.88**	**14,99.84**	**77.63**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

अनुबंध-II

25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 464 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जल जीवन मिशन के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय निधि (22.7.2024 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***	**कुल**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.50	1.46	2.06	2.16	3.76	एनडी	9.94
2	आंध्र प्रदेश	372.64	297.62	791.06	एनडी	793.57	एनडी	2,254.89
3	अरुणाचल प्रदेश	177.47	344.85	1,555.53	1,116.35	771.21	32.67	3,998.08
4	असम	442.36	551.77	4,200.87	4,588.21	6,204.00	1,559.63	17,546.84
5	बिहार	417.35	353.60	एनडी	एनडी	एनडी	एनडी	770.95
6	छत्तीसगढ़	65.82	334.14	477.24	2,223.98	2,885.56	एनडी	5,986.74
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव	एनडी	एनडी	एनडी	एनडी	एनडी	एनडी	एनडी
8	गोवा	3.08	6.20	22.77	एनडी	11.25	एनडी	43.30
9	गुजरात	390.31	983.08	2,557.96	3,590.16	2,237.14	एनडी	9,758.65
10	हरियाणा	149.95	72.38	559.98	463.00	526.72	एनडी	1,772.03
11	हिमाचल प्रदेश	205.83	547.48	2,012.78	1,344.94	402.34	एनडी	4,513.37
12	जम्मू और कश्मीर	322.03	53.72	604.18	1,439.50	3,267.12	एनडी	5,686.55
13	झारखंड	291.19	143.06	512.22	2,119.14	2,875.35	एनडी	5,940.96
14	कर्नाटक	546.06	446.36	2,504.40	2,725.93	4,966.62	एनडी	11,189.37
15	केरल	101.29	303.18	1,353.44	2,206.54	671.18	584.81	5,220.44
16	लद्दाख	67.86	एनडी	340.68	382.76	131.07	एनडी	922.37
17	लक्षद्वीप	एनडी	एनडी	एनडी	9.25	19.82	0.11	29.18
18	मध्य प्रदेश	571.60	960.09	3,837.59	2,820.51	5,419.90	2,022.35	15,632.04
19	महाराष्ट्र	345.28	457.23	1,666.64	3,915.62	7,444.26	802.94	14,631.97
20	मणिपुर	91.17	141.80	601.19	256.03	एनडी	एनडी	1,090.19
21	मेघालय	43.01	184.92	1,078.39	1,047.00	1,500.00	एनडी	3,853.32
22	मिजोरम	68.05	104.30	303.89	448.58	303.10	एनडी	1,227.92
23	नागालैंड	56.49	85.57	333.61	484.28	314.90	एनडी	1,274.85
24	ओडिशा	364.74	609.11	2,492.56	1,768.73	2,108.54	एनडी	7,343.68
25	पुडुचेरी	एनडी	1.06	7.47	एनडी	1.00	एनडी	9.53
26	पंजाब	227.46	एनडी	402.24	एनडी	119.76	एनडी	749.46
27	राजस्थान	1,301.71	630.51	2,345.08	6,081.80	250.00	1,659.22	12,268.32
28	सिक्किम	26.15	39.36	194.79	188.92	251.61	एनडी	700.83
29	तमिलनाडु	373.10	690.36	614.35	872.96	2,617.10	365.83	5,533.70
30	तेलंगाना	105.52	82.71	एनडी	एनडी	एनडी	एनडी	188.23
31	त्रिपुरा	145.37	117.46	714.09	849.91	744.18	110.51	2,681.52
32	उत्तर प्रदेश	1,513.14	1,295.47	5,435.25	9,496.54	16,947.00	3,786.59	38,473.99
33	उत्तराखंड	170.53	271.93	1,082.85	1,209.38	1,890.66	152.52	4,777.87
34	पश्चिम बंगाल	994.75	807.08	1,404.61	3,090.12	4,206.29	1,514.99	12,017.84
कुल		**9,951.81**	**10,917.86**	**40,009.77**	**54,742.30**	**69,884.99**	**12,592.17**	**1,98,098.92**

एनडी: आहरित नहीं